न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 6/2018 दायरा दिनांक : 02.01.2018

उनवान

महेश कुमार आत्मज स्वर्गीय हरीशंकर दत्तक पुत्र स्वर्गीय रामप्रताप, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– हरीनारायण पिता मोती लाल, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

2– राजेन्द्र प्रसाद पिता मोती लाल, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

3– ओम प्रकाश पिता मोतीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

4– मृतक कमला बाई बेवा स्वर्गीय हरीशंकर दत्तक पुत्र स्वर्गीय रामप्रताप, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

5– पुष्पा देवी बेवा विष्णु, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

6– केशव नाबा. पिता विष्णु, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ संरक्षक माता पुष्पा देवी

7– अभिनन्दन नाबा. पिता विष्णु, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ संरक्षक माता पुष्पा देवी

8– ऐश्वर्या पुत्री विष्णु, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

9– मृतक मंजूला पुत्री हरीशंकर पत्नी विद्यासागर, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ हाल निवासी भैसोदा मृतक जरिये कायाम मुकामान :–

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

9/1– जितेन्द्र कुमार पिता विद्यासागर, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ हाल निवासी भैसोदा

9/2– हेमलता पिता विद्यासागर, पत्नी हेमन्त दुबे, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ हाल निवासी भैसोदा

10– कृष्णा पुत्री हरीशंकर पत्नी ओम प्रकाश, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल हाल निवासी भानपुरा

11– प्रकाश चन्द पिता नन्दकिशोर, जाति ब्राहमण, हाल निवासी भवानीमण्डी

12– सतीश पिता नन्दकिशोर, जाति ब्राहमण, हाल निवासी उज्जैन

13– रविन्द्र पिता नन्दकिशोर, जाति ब्राहमण, हाल निवासी रणायरा

14– कृष्ण गोपाल पिता नन्दकिशोर, जाति ब्राहमण, हाल निवासी राउ

15– सरजू बाई बेवा नन्दकिशोर, जाति ब्राहमण, हाल निवासी रणायरा

16– मोहन लाल पिता बालाराम, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल हाल निवासी उज्जैन

17– कैलाश पिता बालाराम, जाति ब्राहमण, हाल निवासी खोर

18– गिरिजाबाई पुत्री बालाराम पत्नी ओम प्रकाश दुबे, जाति ब्राहमण, हाल निवासी उज्जैन

19– उमा पुत्री बालाराम पत्नी पत्नी सुरेन्द्र पंचोली, जाति ब्राहमण हाल निवासी भवानीमण्डी

20– ललिता बाई पुत्री जुगल किशोर पत्नी किशन जी, जाति ब्राहमण, हाल निवासी भैसोदा

21– तारा बाई बेवा मांगीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

22– देवेन्द्र पिता मांगीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

23– सुरेश पिता मांगीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

24– निर्मला पुत्री मांगीलाल, बेवा कैलाश चन्द जाति ब्राहमण, हाल निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

(नरेन्द्र ओझा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
कोटा (राज.)

25– सविता पुत्री मांगीलाल बेवा गौतम कुमार, जाति ब्राहमण हाल निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

26– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री हुकमचन्द कुमावत अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 06.04.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, पिडावा के प्रकरण संख्या – 110/2013/राजस्व वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय न्याय एवं तथ्यों के पूर्ण प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है । निर्णय के साथ डिक्री जो बनायी गई है जिससे भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का उपयोग नहीं किया है व साक्ष्य तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी सम्यक विवेचन नहीं किया है । प्रकरण में रेस्पोडेंट को कोई आपत्ति बंटवारे बाबत नहीं की । इस सम्बन्ध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 की पूर्ण उपेक्षा की गई है । धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वादी का वाद पत्र डिक्री होने योग्य था । लैण्ड होल्डर तहसीलदार पिडावा ने भी कोई आपत्ति नहीं की व वादी द्वारा प्रस्तुत गवाह के शपथ पत्र अखण्डित रहे हैं जिसकी पूर्ण रूप से उपेक्षा कर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय हर दृष्टि से दोषपूर्ण है व निरस्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2017 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबंध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
कोटा (राज.)

दिनांक 09.11.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय हमें सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया एवं एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित कर दी । वादग्रस्त आराजी बंटवारे से सम्बन्धित थी । वादग्ररत आराजी के चार खातेदार थे । रामप्रताप ला औलाद फौत हुआ है रामप्रमाप ने महेश कुमार को अपना पुत्र माना था । रामप्रताप की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी से अपीलांट रामप्रसाद का नाम हटा दिया गया तथा वादग्रस्त आराजी में महेश कुमार का नाम भी नहीं आया । वादग्रस्त आराजी तीनों भाइयों के नाम आ गई । वादग्रस्त आराजी का कुल रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा था । इनका वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा, रामप्रताप का 1/4 हिस्सा था जिसका खातेदार घोषित किया गया । 1/2 हिस्सा रामनाथ के वारिस का कोई ऐतराज नहीं है। गोद पुत्र बाबत हमने दस्तावेज पेश किये हैं । प्रतिवादी संख्या 16 मोहन लाल जगन्नाथ का पुत्र था, जगन्नाथ का भाई रामप्रताप है । जगन्नाथ के पुत्र ने दस्तावेज पेश की है कि वादग्रस्त आराजी में महेश का हिस्सा है । हमने गोद पुत्र होने बाबत किसी ने इंकार नहीं किया है । अतः वादग्रस्त आराजी में हमारा रामप्रताप का 1/2 का 1/4 हिस्सा घोषित किया जावे । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम चन्द्रपुरा की वादग्रस्त आराजी वादी/अपीलांट व प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात है, जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा निहित है । परन्तु वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड बंटवारा दर्ज नहीं है । राजस्व रेकार्ड से यह भी स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त आराजी वादी और प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजियात है, परन्तु वादी/अपीलांट द्वारा ऐसा

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्र...
प्रदेश राज... अधिकारी
कोटा (राज.)

कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है, जिससे कि वादी/अपीलांट महेश कुमार खातेदार रामप्रताप का दत्तक पुत्र साबित होता हो एवं वादग्रस्त आराजी में उसका 1/8 हिस्सा है । वादी/अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्य से अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहे हैं । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया गया है, जो विधि सम्मत है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.10.2017 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

महेश कुमार आत्मज स्वर्गीय हरीशंकर दत्तक पुत्र स्वर्गीय रामप्रताप, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

.... **अपीलांट**

बनाम

1– हरीनारायण पिता मोती लाल, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

2– राजेन्द्र प्रसाद पिता मोती लाल, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

3– ओम प्रकाश पिता मोतीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

4– मृतक कमला बाई बेवा स्वर्गीय हरीशंकर दत्तक पुत्र स्वर्गीय रामप्रताप, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

5– पुष्पा देवी बेवा विष्णु, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

6– केशव नाबा. पिता विष्णु, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ संरक्षक माता पुष्पा देवी

7– अभिनन्दन नाबा. पिता विष्णु, जाति ब्राहमण,, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ संरक्षक माता पुष्पा देवी

8– ऐश्वर्या पुत्री विष्णु, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

9– मृतक मंजूला पुत्री हरीशंकर पत्नी विद्यासागर, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ हाल निवासी भैसोदा मृतक जरिये कायाम मुकामान :–

9/1– जितेन्द्र कुमार पिता विद्यासागर, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ हाल निवासी भैसोदा

9/2– हेमलता पिता विद्यासागर, पत्नी हेमन्त दुबे, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़ हाल निवासी भैसोदा

10– कृष्णा पुत्री हरीशंकर पत्नी ओम प्रकाश, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल हाल निवासी भानपुरा

11– प्रकाश चन्द पिता नन्दकिशोर, जाति ब्राहमण, हाल निवासी भवानीमण्डी

12– सतीश पिता नन्दकिशोर, जाति ब्राहमण, हाल निवासी उज्जैन

13– रविन्द्र पिता नन्दकिशोर, जाति ब्राहमण, हाल निवासी रणायरा

14– कृष्ण गोपाल पिता नन्दकिशोर, जाति ब्राहमण, हाल निवासी राउ

15– सरजू बाई बेवा नन्दकिशोर, जाति ब्राहमण, हाल निवासी रणायरा

16– मोहन लाल पिता बालाराम, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल हाल निवासी उज्जैन

17– कैलाश पिता बालाराम, जाति ब्राहमण, हाल निवासी खोर

18– गिरिजाबाई पुत्री बालाराम पत्नी ओम प्रकाश दुबे, जाति ब्राहमण, हाल निवासी उज्जैन

19– उमा पुत्री बालाराम पत्नी पत्नी सुरेन्द्र पंचोली, जाति ब्राहमण हाल निवासी भवानीमण्डी

20– ललिता बाई पुत्री जुगल किशोर पत्नी किशन जी, जाति ब्राहमण, हाल निवासी भैसोदा

21– तारा बाई बेवा मांगीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

22– देवेन्द्र पिता मांगीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

23– सुरेश पिता मांगीलाल, जाति ब्राहमण, निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

24– निर्मला पुत्री मांगीलाल, बेवा कैलाश चन्द जाति ब्राहमण, हाल निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

25– सविता पुत्री मांगीलाल बेवा गौतम कुमार, जाति ब्राहमण हाल निवासी सुनेल, तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

26– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पिडावा, जिला झालावाड़

.... **रेस्पोडेंट**

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबंध अधिकारी
एवं

अपील नं. 06/2018 एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा**
मु.द.नं0 110/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक – **25.10.2017**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 19 माह 03 सन् 2021

हाजरी **श्री हुकमचन्द कुमावत** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट
समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 25.10.2017 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **06** माह **04** सन् **2021** को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज.)